रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-24012025-260456
SG-DL-E-24012025-260456

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]	दिल्ली, बुधवार, जनवरी 22, 2025/माघ 2, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 359
No. 27]	DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 22, 2025/MAGHA 2, 1946	[N. C. T. D. No. 359

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 जनवरी, 2025

फा. सं. सीवीओ अधिसूचना/सीडी सं0 021762853/2016.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 480 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 98 तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 19 अक्तूबर, 1966 की अधिसूचना संख्या एस0ओ 3159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के उपरांत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा दिल्ली नगर निगम में मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं; अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :—(i) इन विनियमों को मुख्य सतर्कता अधिकारी भर्ती विनियमों, 2024 कहा जाए।

   (ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :– उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :–वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि दिल्ली नगर निगम संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :– जहां नगर निगम का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी अथवा पदों के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव** :– इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>अनुसूची की कॉलम संख्या</th><th></th><th colspan="2">प्रस्तावित प्रावधान</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>पदनाम</td><td>:</td><td colspan="2">मुख्य सतर्कता अधिकारी</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पदों की संख्या</td><td>:</td><td colspan="2">01 (2023)
*इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>वर्गीकरण</td><td>:</td><td colspan="2">वर्ग 'ए' पद</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स में स्तर</td><td>:</td><td colspan="2">वेतन मैट्रिक्स में स्तर–14 (रुपये 144200–218200/–)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>क्या चयन पद है अथवा गैर–चयन पद</td><td>:</td><td colspan="2">लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा</td><td>:</td><td colspan="2">लागू नहीं</td></tr>
<tr><td rowspan="8">7.</td><td rowspan="8">सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यता</td><td rowspan="8">:</td><td colspan="2">अनिवार्य :</td></tr>
<tr><td>योग्यता :</td><td>अनुभव :</td></tr>
<tr><td>लागू नहीं</td><td>लागू नहीं</td></tr>
<tr><td colspan="2">वांछनीय :</td></tr>
<tr><td>योग्यता :</td><td>अनुभव :</td></tr>
<tr><td>लागू नहीं</td><td>लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>योग्यता : मानक टीप</td><td>अनुभव : मानक टीप</td></tr>
<tr><td>लागू नहीं</td><td>लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों के मामले में भी लागू होंगी।</td><td>:</td><td colspan="2">आयु : लागू नहीं
शैक्षिक योग्यता : लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है</td><td>:</td><td colspan="2">लागू नहीं</td></tr>
<tr><td rowspan="2">10.</td><td rowspan="2">भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा, विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत</td><td rowspan="2">:</td><td>पद्धति</td><td>प्रतिशत</td></tr>
<tr><td>प्रतिनियुक्ति</td><td>100 प्रतिशत</td></tr>
</table>

11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है**	:	**प्रतिनियुक्ति :** अखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय सिविल सेवा/संघ शासित सिविल सेवा/संघ शासित पुलिस सेवा के अंतर्गत अधिकारी (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर–13–ए के पद में दो वर्षों की नियमित सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष; अथवा (iii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर–13 के पद में तीन वर्षों की नियमित सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष; तथा (ख) कार्मिक सतर्कता, जांच, कानूनी एवं सार्वजनिक खरीद मामलों के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले। **टीप 1**: पद पर विचारार्थ आवेदक को निम्नलिखित मानदंड भी पूर्ण करने होंगे। (क) अधिकारी सतर्कता की दृष्टि से निर्दोश होना चाहिए तथा उसकी सेवाओं का रिकॉर्ड निष्कलंक हो तथा उसकी निष्ठा संदेह की दृष्टि परे हो। (ख) दिल्ली नगर निगम से नहीं होना चाहिए। (ग) दिल्ली नगर निगम में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में कार्य नहीं किया हो। (घ) आवेदन आमंत्रण की अंतिम तिथि को आयु 55 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। (ड.) विगत 5 वर्षों में प्रदर्शन मूल्याकंन रिपोर्ट (पीएआर) में ग्रेडिंग बहुत अच्छा से कम नहीं होनी चाहिए। **टीप 2**: मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) का कार्यकाल 03 वर्ष की अवधि (अविस्तारित) के लिए होगा। **मानक टीप** : लागू नहीं।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**विभागीय पदोन्नति समिति** लागू नहीं **विभागीय स्थायीकरण समिति** लागू नहीं
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, के आदेश से
तथा उनके नाम पर,

अमिताभ कूंडू, उप–सचिव

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd January, 2025

F. No. CVO Notification CD No. 021762853/2016.— In exercise of the powers conferred by section 98, read with sub-section (2) of section 480 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957) and Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification Number S.O. 3159 dated the 19th October, 1966, and after consultation with Union Public Service Commission, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following recruitment regulations for regulating the method of recruitment to the posts of Chief Vigilance Officer in Municipal Corporation of Delhi, namely:-

1. Short title and commencement.–(1) These Regulations may be called Chief Vigilance Officer Recruitment Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and Level in Pay Matrix.-The number of the said posts, their classification and Level in Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.-The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a second marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a second marriage with any person; shall not be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Municipal Corporation of Delhi, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. Power to relax. - Where the Municipal Corporation of is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons or posts.

6. Saving. – Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time, in this regard.

.

<table>
<tr><th>S.No.</th><th>Columns no. of the schedule</th><th colspan="2">Provision Proposed</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Name of the Post</td><td colspan="2">Chief Vigilance Officer</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>No. of post</td><td colspan="2">1(2023)* Subject to variation dependent on workload</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Classification</td><td colspan="2">Category A Post</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Scale of Pay/ level in pay matrix</td><td colspan="2">Level-14 (Rs. 144200-218200) in the Pay Matrix</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Whether selection post or non-selection post</td><td colspan="2">Not applicable.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Age limit for direct recruits</td><td colspan="2">Not applicable.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">7.</td><td rowspan="6">Educational and other qualification required for direct recruits</td><td colspan="2">Essential:</td></tr>
<tr><td>Qualification : Not Applicable</td><td>Experience : Not Applicable</td></tr>
<tr><td colspan="2">Desirable :</td></tr>
<tr><td>Qualification : Standard Note</td><td>Experience : Standard Note</td></tr>
<tr><td>NA</td><td>NA</td></tr>
</table>

8.	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotes.	Age : Not Applicable. E.Q: Not Applicable
9.	Period of probation, if any	Not Applicable.
10.	Method of Recruitment: Whether by Direct Recruitment or by Promotion or by Deputation/Transfer, percentage of vacancies to be filled by various methods	Method: Deputation Percentage: 100%
11.	In case of Recruitment by Promotion / Deputation / absorption grades from which Promotion / Deputation /absorption to be made	**Deputation :** Officers belonging to All India Services/Central Civil Services/UT Civil Services / UT Police Services: (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department; or (ii) with 2 years regular service in post in Level -13-A in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with 3 years regular service in post in Level -13 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing 5 years experience in the field of Personnel, Vigilance, Investigation, legal and Public Procurement matters. **Note 1:** - The applicant should be also fulfil the following criteria for consideration to the post : (a) The officer should be clear from vigilance angle and having unblemished record of service and integrity beyond doubt. (b) Should not be from Municipal Corporation of Delhi. (c) Should not have worked as CVO in the Municipal Corporation of Delhi. (d) Should not have crossed the age of 55 years as on the last date of inviting the applications. (e) Must have grading not lower than Very Good in PARs in the last five years. **Note -2:-** the tenure of the post of CVO shall be for a period of 03 years (non - extendable **Standard Note :** Not Applicable.
12	If a D.P.C. exists, what is its composition	Departmental Promotion Committee Not Applicable Departmental confirmation Committee Not Applicable
13.	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment	Consultation with UPSC is necessary

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

AMITABH KUNDOO, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA